संख्या- 5-2023-डीएफए- 489535-002-38-7002-002-1-2021

प्रेषक,

अजय कुमार मिश्र ,
अनु सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 लखनऊ : दिनांक 07 जुलाई, 2023

विषयः- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में सामग्री मद में प्रथम भाग की प्रथम किश्त केन्द्रांश एवं उसके सापेक्ष राज्यांश की धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2242/मनरेगा/पत्रासं0-281/लेखा/आवंटन/2023-24, दिनांक 20-06-2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का

http://shasanadesh.up.gov.in

निदेश हुआ है कि प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम-2005 एवं उसके अन्तर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देशिका में निहित व्यवस्थानुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या- जे- 14037/07/2022- आरई-I एसएल.नं0-12, दिनांक: 19-06-2023 द्वारा सामग्री मद में निर्गत केन्द्रांश रू0 16,71,02,66,000/-(रूपये सोलह अरब इकहत्तर करोड़ दो लाख छाछठ हजार मात्र) के संगत 1/3 राज्यांश रू0 5,57,00,88,666/-(रूपये पांच अरब सत्तावन करोड़ अठ्ठासी हजार छः सौ छाछठ मात्र) अर्थात कुल धनराशि रू0 22,28,03,54,666/-(रूपये बाइस अरब अठ्ठाइस करोड़ तीन लाख चौवन हजार छः सौ छाछठ मात्र) पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं व्यय किये जाने की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:

1. प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार चरणों में किया जायेगा तथा समयसमय पर निर्गत मितव्ययिता संबंधी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. योजनान्तर्गत किसी कार्य को प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स अपेक्षित होने पर सक्षम स्तर से अनापत्ति प्राप्त कर लिया जायेगा।
4. आयुक्त, ग्राम्य विकास द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी

http://shasanadesh.up.gov.in

स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है अर्थात् किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

5. वित्तीय स्वीकृति के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए स्वीकृत की गयी धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने व उसके परीक्षण /सत्यापन का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास का होगा।
6. प्रश्नगत धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय तथा निर्धारित प्रारुप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास का होगा।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार किया जायेगा। आकड़ों की शुद्धता व धनराशि की अनुमन्यता सुनिश्चित किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास का होगा।
8. योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि पर बैंक द्वारा अब तक अर्जित ब्याज का व्यय/उपयोग भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरुप किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास का होगा।
9. स्वीकृत की जा रही धनराशि से सामग्री आदि के क्रय हेतु सामग्री क्रय संबंधी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
10. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।
11. धनराशि के आहरण व व्यय के संबंध में मितव्ययिता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 व अन्य संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
13. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देशों एवं भारत सरकार के केन्द्रांश स्वीकृति आदेश दिनांक

http://shasanadesh.up.gov.in

19-06-2023 में निहित शर्तों/निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

14. वित्तीय नियमों के अनुपालन हेतु अपर आयुक्त(वित्त), ग्राम्य विकास, उ0प्र0 उत्तरदायी होंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 16,71,02,66,000/-(रूपये सोलह अरब इकहत्तर करोड़ दो लाख छाछठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 013 लेखा शीर्षक 4515001020201 महात्मा गॉ धी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (के.75/रा.25-के.+रा.) मानक मद 42 अन्य व्यय (*2*) रुपये 5,57,00,88,666/-(रूपये पांच अरब सत्तावन करोड़ अठ्ठासी हजार छः सौ छाछठ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 013 लेखाशीर्षक 4515001028901 महात्मा गॉ धी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-यू0ओ0-ई0-2-55/दस-2023-24 दिनांक- 27-06-2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

अजय कुमार मिश्र
अनु सचिव।

संख्या- 5-2023-डीएफए- 489535-002-38-7002-002-1-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. श्री धर्मवीर झा, निदेशक(महात्मा गांधी नरेगा), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
3. महालेखाकार(लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, लखनऊ/प्रयागराज।
4. अपर आयुक्त (मनरेगा/वित्त,), ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
7. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
8. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय, उ0प्र0, लखनऊ।
9. वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
10. राज्य योजना आयोग-1/2
11. ग्राम्य विकास अनुभाग-3
12. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

अजय कुमार मिश्र,
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in